फा.सं.42(02)/पीएफसी-1/2014

वित्त मत्रांलय

व्यय विभाग

पीएफसी-I प्रभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 4 जून, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सभी सार्वजनिक वित्त-पोषित योजनाओं/ उप-योजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के संबंध में।

व्यय विभाग के दिनांक 5-8-2016 के का.ज्ञा. सं.24(35)/पीएफ-II/2012 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा सभी सार्वजनिक वित्त-पोषित योजनाओं/ परियोजनाओं को स्वीकृति देने/ अनुमोदित करने के लिए वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। सभी नई योजनाओं/ उप-योजनाओं को शुरू करने के लिए समसंख्यक का.ज्ञा. के पैरा 4(i) के अनुसार, व्यय विभाग से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन लिया जाएगा। आप यह बात स्वीकार करेंगे कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए, सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों की अप्रत्याशित मांग है, और उभरती और बदलती प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, मंत्रालयों/ विभागों से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए कई नए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

2. चालू वित्तीय वर्ष में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित सूचित करने का निदेश हुआ है:-

i) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, आत्म निर्भर भारत अभियान पैकेज और अन्य कोई विशेष पैकेज के तहत घोषित प्रस्तावों/घोषणा को छोड़कर, इस वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21) किसी योजना/ उप-योजना के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं भेजा जाना चाहिए, चाहे इसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों जिसमें एसएफसी प्रस्ताव या ईएफसी के माध्यम से भेजे जाने वाले प्रस्ताव भी शामिल हैं। ऐसी योजनाओं के लिए 'सैद्धांतिक' स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में नहीं दी जाएगी।

ii) एसएफसी प्रस्तावों (500 करोड़ रुपए तक की योजनाएं) (ऊपर (i) में उल्लिखित अपवाद को छोड़कर) सहित प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में पहले से सूचित/ अनुमोदित नई योजनाओं की शुरुआत एक वर्ष के लिए 31 मार्च, 2021 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, स्थगित रहेगी। यह उन योजनाओं पर भी लागू होता है, जिनके लिए व्यय विभाग द्वारा 'सैद्धांतिक' अनुमोदन पहले ही दिया जा चुका है। ऐसी सभी योजनाओं की सूची (संलग्न प्रोफार्मा के

अनुसार) 30 जून, 2020 तक मंत्रालयों/ विभागों के वित्तीय सलाहकारों द्वारा व्यय विभाग को भेजी जाए।

iii) सभी मौजूदा योजनाओं को जारी रखना व्यय विभाग के दिनांक 10-01-2020 के का.ज्ञा. सं. 42(02)/पीएफ-11/2014 द्वारा अधिशासित होगा, जिसके द्वारा सभी चालू योजनाओं के लिए अंतरिम विस्तार पहले ही 31 मार्च, 2021 तक या 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, दिया जा चुका है। यह सभी योजनाओं पर लागू है, चाहे एसएफसी या ईएफसी के माध्यम से प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को इसके लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, जिन्हें मंत्रालय/ विभाग अपने कार्यक्षेत्र की प्रकृति, कवरेज तथा कोई अतिरिक्त पद सृजित किए बिना जारी रखना चाहते हैं। इसमें यह भी दोहराया गया है कि सभी योजनाओं को जारी रखना मूल्यांकन के आधार पर परिणाम की समीक्षा पर निर्भर होगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने और सरकारी खजाने की संसाधन स्थिति स्पष्ट होने के बाद, जारी योजनाओं का 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए आगे मूल्यांकन और अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता होगी। यह मूल्यांकन और परिणाम की समीक्षा पर भी निर्भर करेगा।

iv) ऐसी योजनाओं के लिए कोई निधियां जारी नहीं की जा सकती हैं जो ऊपर दिए गए निर्देशों और व्यय विभाग के दिनांक 05-08-2016 के का.ज्ञा. सं. 24(35)/पीएफ-II/2012 और दिनांक 10-01-2020 के का.ज्ञा. सं. 42(02)/पीएफ-II/2014 के सख्त अनुरूप नहीं हैं, और न ही ऐसी योजनाओं के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा बजटीय प्रावधान किए जाने चाहिए।

v) उपर्युक्त दिशानिर्देशों के किसी भी अपवाद के लिए व्यय विभाग के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

3. इसे सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. शिवाली एम. चौहान)
निदेशक (पीएफसी-I)
दूरभाष: 23093109
ई-मेल: shivalli.chouhan@nic.in

भारत सरकार के सभी सचिव
मंत्रालयों/ विभागों के सभी वित्तीय सलाहकार
प्रधान मंत्री कार्यालय
मंत्रिमंडल सचिवालय
नीति आयोग, रेलवे बोर्ड, आंतरिक परिचालन

मंत्रालय/ विभाग का नाम

क्र.सं.	योजना का नाम जिसके लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया गया है लेकिन अभी तक सूचित/ अनुमोदित नहीं किया गया है	कुल वित्तीय अनुमान और अवधि	वित्तीय अनुमान (वित्त वर्ष 2020-21)	सूचित योजना का नाम लेकिन जिसे अभी अनुमोदित नहीं किया गया है	कुल वित्तीय अनुमान और अवधि	वित्तीय अनुमान (वित्त वर्ष 2020-21)	सूचित और अनुमोदित योजना का नाम	कुल वित्तीय अनुमान और अवधि	वित्तीय अनुमान (वित्त वर्ष 2020-21)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	